छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा नवम् सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

(पौष-2, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

<u>वित्तीय कार्य</u>			**<u>समय</u>**
(i)	वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.		3.00 घंटे
	<u>विधि विषयक कार्य</u>		
(i)	छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक,2020	-	30 मिनट
(ii)	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक,2020	-	30 मिनट
(iii)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020	-	30 मिनट
(iv)	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020	-	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, विचार तथा पारण को बुधवार दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के स्थान पर अब 24 दिसम्बर, 2020 को लिया जावेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>4. पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 17-5/2019/ एक-13, दिनांक 31 अगस्त, 2020,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 87/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 86/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 15

मई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020,

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी./2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020,

(5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की आडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-18 एवं 2018-19,

(6) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2015),

(7) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2019-20,

(8) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), रायपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(9) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2014/32, दिनांक 16 सितम्बर, 2020,

(10) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-01/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-02/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-03/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020,

(11) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिये वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों संबंधी अध्यादेश क्रमांक -31, तथा

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

पटल पर रखे।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. व्यवस्था का प्रश्न

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रश्नों का संशोधन एक दिन पूर्व दिया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्रिगणों से निवेदन है कि वे समय पर सूचना दे दिया करें ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार से कुछ कहने का अवसर न मिले ।

6. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में

माननीय सभापति ने प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी 16 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थगन प्रस्ताव में एक घटना का उल्लेख पर आपत्ति लेते हुये कथन किया कि विपक्ष इस संबंध में माफी मांगें तथा आसंदी से स्थगन प्रस्ताव को विलोपित करने का आग्रह किया ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.40 बजे स्थगित की जाकर 1.03 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय ने प्रकरण का पटाक्षेप किया ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पद क्रम 3(2) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर,

7. बहिर्गमन

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

8. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

सभापति महोदय ने शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

(2.02 बजे 3.01 बजे तक अन्तराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में कोरोना (कोविड-19) के प्रकोप से मरीजों की मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

10. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

11. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य ने एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा बिना अनुमति के पेड़ों की अवैध कटाई एवं सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने मंत्री की अनुपस्थिति का उल्लेख किये जाने पर माननीय सभापति महोदय ने कथन किया कि माननीय मंत्री की अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने इंग्लैंड से कोई नया कोरोना लेकर कुछ लोग हिन्दुस्तान पहुंचे हैं, उस कोरोना के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि इस संबंध में कल मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

12. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(3) श्री नारायण चंदेल

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(5) श्री ननकी राम कंवर

13. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 01)	श्री सत्यनारायण शर्मा	01 घंटा
2. (क्रमांक - 05)	श्री अजय चन्द्राकर	01 घंटा
3. (क्रमांक - 03)	श्री देवेन्द्र यादव	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्रीमती ममता चन्द्राकर

(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(4) श्री नारायण चंदेल

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) की अनुमति चाही ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति ली कि विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है इसे वित्तीय ज्ञापन लगाने के पश्चात ही प्रस्तुत किया जाय ।

माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) का पुर: स्थापन किया ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) पुर: स्थापित किया ।

(3) कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) की अनुमति चाही ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति ली कि विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है । परम्परा है कि वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये इसलिये इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इसका परीक्षण करा लिया गया है, इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) का पुर: स्थापन किया ।

(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पुर: स्थापित किया ।

16. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये गुरुवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 की तिथि निर्धारित की ।

17. शासकीय संकल्प

माननीय उपाध्यक्ष ने शासकीय संकल्प प्रस्तुत करने हेतु श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारा ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कोल एण्ड शकधर के निम्नांकित अंश को उदधृत किया :-

"जब किसी ऐसे संकल्प की सूचना जो, किसी मंत्री ने दी हो, अध्यक्ष द्वारा ग्रहित कर ली गई है, तो उसे संसदीय समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है । अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श पर उस संकल्प पर चर्चा के लिए तिथि निश्चित करता है । उस संकल्प को कार्यसूची में शामिल किए जाने से पहले संबंधित मंत्री इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी संगत दस्तावेज और साहित्य जहां आवश्यक हो, सदस्यों को पहले बांट दिया जाये । "

चूंकि इसे आपने आज ही प्रकाशित किया है और आज ही चर्चा हो रही है, इसमें संशोधन का अवसर नहीं मिला है, यह सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद इसे लाया जाय, तब तक इसको स्थगित किये जाने तथा व्यवस्था दिये जाने की मांग की ।

इस संबंध में श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि सारे दस्तावेज उपलब्ध करा कर इस पर चर्चा करायी जाय तो उचित होगा । इसलिये आज इसे रहने दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि शासकीय संकल्प आगामी कार्य दिवस में लिया जावेगा एवं नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा कल ली जावेगी ।

सायं 5.02 बजे, विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 (पौष 3, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा